

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका संख्या. 873 वर्ष 2015 (M/S)

न्यू तराई स्टोन क्रेशर

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 725 वर्ष 2015 (M/S)

भगवती स्टोन इंडस्ट्रीज़

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 727 वर्ष 2015 (M/S)

बदेशा स्टोन क्रेशर

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 728 वर्ष 2015 (M/S)

देवभूमि स्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 874 वर्ष 2015 (M/S)

मे/स साई बाबूजी स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 876 वर्ष 2015 (M/S)

श्री बालाजी स्टोन इंडस्ट्रीज़

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 876 वर्ष 2015 (M/S)

मे/स महालक्ष्मी स्टोन इंडस्ट्रीज़

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 876 वर्ष 2015 (M/S)

मे/स गोला स्टोन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

सहित

रिट याचिका संख्या. 1459 वर्ष 2015 (M/S)

मे/स आनंद स्टोन क्रेशर

.....याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य
त्यर्थी

..... प्र-

अधिवक्तागण :

याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण : विद्वान अधिवक्ता श्री संजय भट्ट सहित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश भट्ट

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण : श्री तेज सिंह बिष्ट, उप महाधिवक्ता

माननीय अलोक सिंह जे.

1. सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण यहां यह उल्लेख करने कि आवश्यकता है इससे पहले, समान रूप से स्थित कुछ स्टोन क्रशर यूनिट्स द्वारा इसी तरह का मुद्दा 2014 की रिट याचिका संख्या 1365 (एम/एस) को मेसर्स शीर्षक हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य से दायर करके इस न्यायालय की समवन्य पीठ के समक्ष उठाया गया था, जिसे दिनांक 07.10.2014 के

निर्णय और आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दिनांक 02.05.2013 की अधिसूचना का उल्लंघन नहीं किया गया था पूर्वोक्त याचिका में इस प्रश्न का कि 'क्या बालू और गिट्स का कोल्हू में संसाधित होने के बाद उसके चरित्र में परिवर्तन होता है' का उत्तर नहीं दिया जा सका। निर्णय दिनांक 07.10.2014 का प्रासंगिक भाग यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया :-

“21. दिनांक 2 मई, 2013 की अधिसूचना जारी करने से पहले, अनुसूची II(बी) की प्रविष्टि संख्या 94 में विशिष्ट अपवर्जन खण्ड था, जिसमें स्टोन क्रेशर द्वारा क्रशिंग द्वारा प्राप्त बोल्टर और गिट्स और रेत को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जारी किये जाने के बाद अनुसूची II(बी) की प्रविष्टि संख्या 94 में अधिसूचना, बहिष्करण खण्ड को छोड़ दिया गया है। उत्तराखण्ड वैट अधिनियम में सात अनुसूचियां हैं और प्रत्येक अनुसूची में, वस्तु का नाम है और उस मद के खिलाफ लगाई जाने वाले कर की दर का उल्लेख है। यदि कोई वस्तु उल्लिखित अनुसूची में से किसी में शामिल नहीं है, तो ऐसी वस्तु पर लगने वाला कर 13.5% होगा। चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा संसाधित की गई वस्तुएँ किसी भी प्रविष्टि में कवर नहीं की जाती हैं, इसलिए उन्हें कर की दर से कर का भुगतान किये जाने के लिए कहा गया है। 13.5% याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि अधिनियम की अनुसूची II द्वारा कवर किए गए सामानों के संबंध में 5% से अधिक कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, अधिसूचना दिनांकित 02.05.2013 को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, एक कराधन अधिनियम के रूप में उस भाषा की व्याख्या करना संभव नहीं है जो कानून के शब्दों को सादे पढ़ने से अनुसरण नहीं करती है। ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह ना मान लिया जाए कि नदी तल सामग्री से प्राप्त सभी बालू और बजरी, चाहे उसे पानी से छानकर या कुचल कर, नदी तल कि रेत या बजरी बनी रहे? याचिकाकर्ताओं को कोर्ट से इस सवाल का फैसला करने की उम्मीद है कि क्या नदी तल सामग्री को कुचलने के बाद प्राप्त होने वाली रेत और बजरी को भी नदी कि रेत व नदी बजरी के रूप में जाना जाता है? दूसरे शब्दों में क्या क्रशिंग द्वारा प्रोसेसिंग के बाद भी यह अपने चरित्र को बरकरार रखता है? और ऐसी स्थिति में, कर, जैसा कि अनुसूची में दिया गया है, दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में मांगी गई राहत परमादेश की प्रकृति कि है जो कि प्रत्यार्थियों को नदी की रेत और

नदी बजरी की बिक्री पर पाँच प्रतिशत से अधिक वैट वसूलने से रोकती है। याचिकाकर्ता ने न तो 02 मई 2013 की अधिसूचना को चुनौती दी है और न ही प्रत्यार्थि संख्या 03 द्वारा जारी 19.06.2013 के नोटिस को चुनौती दी है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। "

2. उक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, हिमालयन स्टोन इंडस्ट्रीज ने अपीलकर्ताओं के रूप में इस न्यायालय के समक्ष विशेष अपील संख्या 64 दायर की है, जिससे प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बीच राज्य को रोकने के लिए परमादेश रिट की मांग करते हुए नदी की रेत और नदी बजरी की बिक्री पर 5% से अधिक वैट वसूलने के खिलाफ कई रिट याचिकाएं भी दायर की हैं। इसके अलावा, अनुसूची II(बी) के अनुसार, अन्य सामग्रियों को अलग करके पानी से जांचा जाना चाहिए या अन्यथा कोल्हू में संसाधित किया जाना चाहिए, इसलिए राज्य को अपील की गई थी कि वह नदी की रेत और नदी बजरी को अन्य सामग्रियों से अलग करके पानी से छाने या कोल्हू में संसाधित करने की अवधारणा को अवर्गीकृत करें और उपरोक्त वस्तुओं पर 13.5% वैट लगाने को निषेधित करें।

3. उक्त विशेष अपील संख्या 64/2015 के दौरान, अपीलकर्ताओं ने याचिका प्रस्तावक के रूप में अधि-कारार्थी की याचना में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने इसमें 02.05.2013 की अधिसूचना को रद्द करने की याचना शामिल की थी। अंततः, 11.04.2018 को जारी आदेश में, उन्हें उक्त विशेष अपील और दायर की गई रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें आदेश दिया गया कि वे यहीं पर रिट याचिका दायर करेंगे, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है। इसी तरह, वर्तमान में कई रिट याचिकाएं मुख्यतः इसी और समान कारणों पर सुनी जा रही हैं और इसी न्यायाधीशिय निर्णय द्वारा तय की जा रही हैं।

4. जैसा कि उपरोक्त सभी उल्लिखित याचिकाएं समान मुद्दे से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए, सभी याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं और इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय दिया जा रहा है।

5. सुविधा के लिए, रिट याचिका संख्या 873/2015 (एम/एस) के तथ्यों को मुख्य मामला के रूप में लिया जा रहा है। याचिकाकर्ता, मध्यमें अन्यो के बीच, निम्नलिखित राहत की मांग करता है:

"(क) एक रिट, आदेश या दिशा-निर्देश जारी किया जाना चाहिए, जिसमें मांडे-मस के स्वरूप में हो, और जिससे प्रतिस्पर्धियों को 5% से अधिक वैट का वस्त्रधारण करने से रोका जाए और उन्हें निषेधित किया जाए। इसमें जल संचालित की गई नदी की रेत और नदी बाजरी की बिक्री पर जो अन्य सामग्रियों को पानी के साथ छाने गए हो या अन्यथा क्रशर में प्रसंस्कृत की गई हो, उन्हें अलग करने के लिए वैट अधिनियम की अनुसूची II ब के अनुसार होना चाहिए।

(ख) मांडेमस के माध्यम से प्रतिस्पर्धियों को वैट लगाने से रोकने और निषेधित करने का आदेश जारी करें। इस आदेश में उक्त वस्त्रधारित सामग्री जैसे नदी की रेत और नदी बाजरी को जो अन्य सामग्रियों को पानी के साथ छाने गई हो या अन्यथा क्रशर में प्रसंस्कृत की गई हो, इसे वर्गीकृत वस्तु के रूप में न मानकर 13.5% दर पर वैट लागू करने से।

(ख- क) कृपया एक रिट, आदेश या दिशा-निर्देश जारी करें, जिसका मांडेमस / निर्देश के स्वरूप में हो, और अधिसूचना संख्या 541/2013/55 (120)/XXVII (8)2001, दिनांक 02.05.2013 को भेदभावपूर्ण, अत्यंत-विरुद्ध, संवैधानिक रूप से अवैध, गैरकानूनी और मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होने की घोषणा करें।

6. मामले के तथ्यों को संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता उत्तराखंड वैट अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत व्यापारी हैं। उनका व्यवसाय पत्थर की चिड़ी, रेत, बाजरी आदि की बिक्री पर आधारित है और वे विक्रय पर निर्धारित दर पर कर भुगतान करते हैं। याचिकाकर्ता नदी के तटीय सामग्री की खरीदी उत्तराखंड वन विकास निगम और वन विभाग से करते हैं और इसके लिए वे उचित रायल्टी और अन्य शुल्क भुगतान करते हैं। याचिकाकर्ता को उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा बिस्तर सामग्री प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें रेत, बाजरी और बोल्टर शामिल होते हैं। याचिकाकर्ता नदी के तटीय सामग्री से इस सामग्री को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद वे इसे पानी के साथ छानकर या क्रशर में प्र-

संस्कृत करके बेचते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नदी के तटीय सामग्री से प्राप्त किए गए बोल्डर्स को छोटी बाजरी/चिड़ी में बदल दिया जाता है।

7. आगे बढ़ने से पहले, यह उचित होगा कि उत्तराखंड वैट अधिनियम, 2005 (इसके बाद से संदर्भित किया जाएगा जैसा कि अधिनियम, 2005) के प्रासंगिक धाराओं को पुनः उद्धृत किया जाए। अधिनियम, 2005 की धारा 4 के उप-धारा (2)(ब) के अनुसार निम्नलिखित पढ़ा जाता है:

कर दर -

(2)(ब) धारा 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, व्यापारी अपनी करयोग्य टर्नओवर पर कर भुगतान करने के प्रतिबद्ध होगा -

(i) बिक्री के हर बिंदु पर यहां बताई गई दर के अनुसार:

(अ) अनुसूची II (ए) में उल्लेखित सामानों के संबंध में 1 प्रतिशत

(ब) अनुसूची II (ब) में उल्लेखित सामानों के संबंध में 5 प्रतिशत;

(क) अनुसूची II (सी) में उल्लेखित सामानों के संबंध में वहां निर्धारित दर के अनुसार;

(ड) किसी भी अनुसूचियों में शामिल नहीं होने वाले सामानों के संबंध में

[13.5 प्रतिशत] की दर के अलावा।

8. अधिनियम, 2005 की धारा 4 के उप-धारा (2)(ब) का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि एक व्यापारी को अनुसूची II (ब) में उल्लेखित सामानों के संबंध में 5 प्रतिशत कर भुगतान करनी होगी और जितना कि अनुसूचियों में शामिल नहीं होने वाले सामानों के संबंध में, व्यापारी को 13.5 प्रतिशत कर भुगतान करना होगा।

9. वर्तमान समय पर, पुराने एंट्री 94 को सम्मिलित करना आवश्यक है, जो निम्नरूप में उद्धृत है:

क्रमांक	वस्तु	प्रवृष्टि	कर दर
---------	-------	-----------	-------

94	नदी की रेत और ग्रिट 4% सम्मिलित नहीं करते हैं (a) बोल्डर्स और (b) ग्रिट और रेत पत्थर क्रशर द्वारा निर्मित।	4%	अनुसूचि 2 (ब) (94)
----	---	----	--------------------

10. उपर्युक्त पुरानी एंट्री 94 को निम्नलिखित शब्दों में 21.01.2006 की अधिसूचना संख्या 04/XXVII(8)/2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था:

क्रमांक	वस्तु	प्रवृष्टि	कर दर
94	नदी की रेत, ग्रिट और बोल्डर्स	4%	अनुसूचि 2 (ब) (94)

11. 2006 में जारी उक्त अधिसूचना के द्वारा, पुरानी एंट्री में छोड़े गए ग्रिट और बोल्डर्स भी जोड़े/शामिल किए गए थे। इसके बाद, विवादित अधिसूचना संख्या 541/2013/55(120)/XXVII(8)/2001 दिनांक 2 मई, 2013 द्वारा, अनुसूची II (ब) की एंट्री 94 को अब प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका प्रभाव निम्न-लिखित है:

क्रमांक	वस्तु	प्रवृष्टि	कर दर
94	नदी की रेत और नदी की बजरी	5%	अनुसूचि 2 (ब) (94)

12. 2013 में जारी विवादित अधिसूचना द्वारा, 'नदी की रेत और नदी बाजरी' को अनुसूची II (ब) की एंट्री 94 में विशिष्ट किया गया है। मूल्यांकन प्राधिकरण पत्थर क्रशरों को मजबूर कर रहा है कि कर जमा करें @ 13.5% क्योंकि प्रसंस्करण प्रक्रिया के बाद पेट्रीशनर द्वारा बेचे जा रहे सामान अनुसूचियों में शामिल नहीं होने वाले सामानों में आते हैं। साथ ही, पत्थर क्रशर धारा करते हैं कि उनके द्वारा बेचे जा

रहे सामान अनुसूची II (ब) के परिधि में आते हैं और, इसलिए, मूल्यांकन प्राधिकरण केवल 13.5% कर के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत कर लगा सकता है। पत्थर क्रशरों का दावा है कि मूल्यांकन प्राधिकरण नदी से मिलने वाली रेत और बाजरी की बिक्री पर 13.5% का वीएटी मांग नहीं कर सकता है, जो या तो छान या क्रशर के माध्यम से प्राप्त होती है, क्योंकि उसी प्रक्रिया के बाद भी वही 'नदी की रेत' और 'नदी बाजरी' बनी रहती है। पत्थर क्रशर इकाइयों द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया में, नदी की रेत और नदी बाजरी को पानी के साथ छाना जाता है और, उन्हें क्रश करने की प्रक्रिया के बाद, बोल्टर्स को विभिन्न टुकड़ों/साइज़ में क्रश किया जाता है, लेकिन यह अभी भी 'नदी की रेत' और 'नदी बाजरी' के रूप में ही रहती है। प्रेषक यह दावा करता है कि एक बार पत्थर क्रशर इकाई नदी से मिलने वाले सामग्री (यानी नदी की रेत और नदी बाजरी) को वन विकास / प्राधिकारी अधिकारी से खर्चे रोयल्टी और अन्य शुल्क (यानी @ 5%) के बाद खरीदता है और पेटिशनर बोल्टर्स को विभिन्न टुकड़ों/साइज़ (यानी गिट्टी, छोटे पत्थर, स्टोन चिप्स, आदि) में क्रश करने के बाद, सरकार व्यापार प्रशासक कर @ 13.5% लगा सकती है नहीं संघनन कानून की धारा 4 की उपधारा 2(ब)(ड) की सहायता से और इस आधार पर कि गिट्टी, छोटे पत्थर, स्टोन चिप्स, आदि (जो बोल्टर्स को क्रश करने के बाद मौजूद हो जाते हैं) अनुसूची II (ब) की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उचित समझता है कि मामले को उचित तरीके से निर्णयित करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को तैयार करेगा:-

(i) क्या क्रशर में तोड़े जाने के बाद नदी की रेत और नदी की बाजरी वाणिज्यिक

वस्तु की एक ही रूप में बनी रहती है या यह एक नई वाणिज्यिक वस्तु में परिणमित होती है?

(ii) यदि दोनों वाणिज्यिक वस्तुएं एक और एक ही हैं और कोई नई वाणिज्यिक वस्तु

पैदा नहीं होती है, तो क्या मूल्यांकन प्राधिकरण को एक ही वाणिज्यिक वस्तु के बीच कोई वर्गीकरण करने की अनुमति है और क्या मूल्यांकन प्राधिकरण को एक ही

वाणिज्यिक वस्तु पर अलग-अलग कर दर लगा सकता है?

14. पहली दृष्टि में, राज्य सरकार का दावा, प्रविष्टि 94 को देखते हुए, आकर्षक और संभावित प्रतीत होता है, लेकिन और अधिक ध्यान से देखने पर, इसे मान्य नहीं किया जा सकता है इसके कारणों के कारण, जिन्हें चल रहे अनुभागों में विचार किया जाएगा।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा Commissioner of Sales Tax, U.P. vs. Lal Kunwa Stone Crusher (P) Ltd., AIR 2000 SC 1161 में, एक सवाल को संबोधित करने का अवसर पाया था कि क्या गिट्टी, स्टोन चिप्स और धूल पत्थर को अब भी पत्थर माना जाता है या पत्थर बोल्डर्स को गिट्टी, स्टोन चिप्स और धूल में क्रश करने से अलग-अलग वाणिज्यिक माल पैदा होता है, जिससे उनकी बिक्री पर कर लगाने के लिए प्रासंगिक होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Lal Kunwa के मामले (उपरोक्त) में यह ठान लिया था कि पत्थर, गिट्टी और पत्थर के वस्त्र सभी समान प्रकृति के हैं, हालांकि उनका आकार भिन्न हो सकता है और हालांकि बाजार में बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले पत्थर बोल्डर्स से गिट्टी, कंकर, स्टोन ब्लास्ट आदि सभी अलग-अलग वाणिज्यिक प्रकृति में देखे जा सकते हैं, फिर भी, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि अधिसूचना की प्रविष्टि 40 में इनको पत्थर कहें या नहीं। इसके अलावा, यह भी ठहराया गया कि वास्तव में, शब्द 'पत्थर' ऐसे विभिन्न रूपों को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है, जैसे कि, गिट्टी, कंकर, पत्थर बैलास्ट आदि। लाल कुँवा के मामले (उपरोक्त) में व्यक्त की गई दृष्टि को राज्य महाराष्ट्र बनाम महालक्ष्मी स्टोर्स (2003) 129 STC 79 में भी अनुसरण किया गया है, जहां मुद्दा यह था कि क्या अदालत न्यायाधीशों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संगठन ने यह स्वीकार किया कि बड़े पत्थरों को क्रश करने से प्रायः गिट्टी के रूप में जाना जाने वाला विभिन्न आकार का मेटल विनिर्माण को नहीं जनता है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित का समर्थन किया है:

"5. लेकिन यह दर्शाना जरूरी है कि माल की हर प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नई वाणिज्यिक वस्तु के उदय के साथ ही ही विनिर्माण की गणना नहीं करता है। इस घटनाक्रम में, गतिविधि की स्वाभाविकता से ही विनिर्माण की गणना नहीं होती क्योंकि कोई नई वाणिज्यिक वस्तु मौजूद नहीं होती।"

16. आयुर्वेद फार्मसी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, (1989) सप्लीमेंट 4 एससीसी 165, एक वर्ग के चिकित्सा तैयारियों, जैसे आरिष्टम और आसव, जिनमें अधिक शराबी सामग्री होती है, की बिक्री पर 30% की बिक्री कर को भ्रांतिपूर्ण बताकर इसके विरोध किया गया था क्योंकि सभी अन्य चिकित्सा तैयारियाँ 7% की कम दर पर कर लिया जाता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित का समर्थन किया है:

“6. विधानसभा या यदि विधानसभा द्वारा उसके लिए अधिकृत हो तो राज्य सरकार के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न कर दरें चुनना संभव है। लेकिन, जब वस्तुएं एक ही वर्ग या श्रेणी में सम्मिलित होती हैं, तो कर लगाने के उद्देश्य से एक वस्तु और दूसरी के बीच भेदभाव करने के लिए तर्कसंगत आधार होना चाहिए।”

17. आयुर्वेद फार्मसी के मामले (उपरोक्त) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्धारित किया है कि उसे राज्य द्वारा एक ही वर्ग या श्रेणी अर्थात्, औषधीय तैयारी के मामले में सम्मिलित एक वस्तु पर उच्च कर दर लगाने के लिए दिए गए कारण से संतुष्ट नहीं हुआ।

18. मौरी यीस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरे, (2008) 5 SCC 680 में माननीय अपेक्षा समिति ने एक सवाल पर चर्चा की है कि क्या 'यीस्ट' को 'सभी प्रकार के रासायनिक पदार्थ' श्रेणी में शामिल किया जा सकता है या नहीं। माननीय अपेक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि यदि दो प्रविष्टियों के बीच संघर्ष होता है जिसमें एक टैरिफ प्रविष्टि के लिए ले जाने वाले और दूसरे को अव-शेष प्रविष्टि में ले जाने वाले होते हैं, तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

57. सामान्य वार्तालाप या वाणिज्यिक भाषा परीक्षण हम यह देख सकते हैं कि हाल ही में

एचपीएल केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीसीई मामले में लागू हुआ है (SCC p.220, para 31)

31. यह मान्य प्रतिनिधि वकील द्वारा यह दावा किया गया था कि वस्त्रों को 38.23

अनुशीर्षक (अब 38.24) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो 'रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के अन्यत्र सूचित या शामिल न होने वाले शेष उत्पाद' के रूप में है। उक्त 38.23 अनुशीर्षक केवल एक शेष शीर्षक है जो 'रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के शेष उत्पाद' को सूचित करता है 'अन्यत्र सूचित या शामिल न होने वाले'। वर्तमान मामले में, क्योंकि वस्त्रें विशिष्ट शीर्षक, अर्थात् 25.01 अनुशीर्षक के तहत शामिल होती हैं, इसलिए उन्हें संख्यात्मक अनुशीर्षक के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से उपरोक्त व्याख्यात्मक नियम 3(a) द्वारा निर्धारित की गई है। उक्त व्याख्यात्मक नियम 3(a) के अनुसार, सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाला शीर्षक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक की प्राथमिकता होगी। इस स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में *Bharat Forge and Press Industries (P) Ltd. v CCE (1990) 1 SCC 532* को देखा जा सकता है। इसमें अन्तर्गत पैरा 4 में उल्लेख किया गया था:

4. हमारे सामने का सवाल है कि क्या विभाग का दावा सही है कि सवाल में शामिल वस्तुएं तरिफ इंट्री 68 के तहत कर योग्य हैं। जैसा पहले ही उल्लिखित किया गया है, यह अवशेष एंट्री है और केवल ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जो तरिफ के विभिन्न विशिष्ट एंट्रीज के अंतर्गत नहीं लाई जा सकती हैं। अन्य शब्दों में, जब तक विभाग सिद्ध कर सके कि सवाल में वस्तुएं किसी भी तरीके से किसी भी तरिफ आइटम के अंतर्गत लाई नहीं जा सकती हैं, तब तक अवशेष आइटम का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

58. हमारे मतानुसार, "यीस्ट" प्रश्नगत प्रविष्टि के अर्थ में एक रासायनिक है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले में देखा है, जहां एम/एस कुमाओं स्टोन क्रशर ने उच्च न्यायालय के सामक्षिक अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें 14.06.1999 को वन संरक्षक द्वारा जारी आदेश और 01.06.1999 को डिवीजनल वन अधिकारी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के लिए

मांग की गई थी, जिसमें ट्रांजिट फी के अनुरोध के आधार पर पत्थर के समाप्त आइटम से अदायगी और उस पर लेवी करने के लिए दिशानिर्देशित किया गया था। यह मामला सिविल अपील संख्या 14874 का था, जिसका निर्णय 15.09.2017 को हुआ। कुमाओं स्टोन क्रशर के मामले में यह दावा था कि उसका स्टोन क्रशर एक वन की तटीय दलहनी से बड़े पत्थर इकट्ठा करता है, जिसे एक वन के तौर पर माना जाता है, तो उस पर ट्रांजिट फी लगाई जाती है और यह भुगतान की जाती है। पत्थरों को क्रशिंग केंद्र ले जाने और विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न करने के बाद, पत्थरों को वाणिज्यिक वस्तु, अर्थात् स्टोन ग्रेट्स और चिप्स में परिवर्तित किया जाता है, और इसका दावा किया गया कि जब यह एक वाणिज्यिक वस्तु बन जाता है, तो इसे वन संबद्ध उत्पाद के रूप में मान्यता नहीं मिलती है और इसके बाद कोई ट्रांजिट फी लगाई और वसूल नहीं की जा सकती है। इस मामले में, पक्षों की सुनवाई के बाद यह न्यायालय ने देखा कि जब नदी तट सामग्री को क्रशिंग प्रक्रिया में लिया जाता है और यह धोया और एकल मटकी और बाजरी में परिवर्तित होता है, तो एक नई वाणिज्यिक वस्तु का उद्भव होता है और वह वन संबद्ध उत्पाद नहीं रहता है। जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के सामक्षिक आया, तो उत्तराखंड राज्य का स्टैंड निम्नलिखित संख्या 14874 के संबंधित सिविल अपील में इस प्रकार रहा:

"VI. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में योगदान।

52. जैसा कि पहले उल्लिखित है, उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय का आंकलन किया है। श्री दिनेश द्विवेदी, ज्ञानी वरिष्ठ काउंसल, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 01.07.2004 के निर्णय में म/स कुमाओं स्टोन क्रशर बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले को सवालात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, दावा करते हैं कि पत्थरों को चिप्स में क्रश करने से पूर्व ही वही वन संबंधी उत्पाद की विशेषता को बनाए रखते हैं। ग्रेट्स, स्टोन चिप्स और धूल उपयोग करके कोई नया सामग्री प्राप्त नहीं की जाती है। "म/स गुप्ता बिल्डर्स" के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह उत्तर प्रदेश के छोटे खनिज (अनुबंध) नियम, 1963 और उत्तराखंड के द्वारा अपनाए गए उत्तराखंड छोटे

खनिज (अनुबंध) नियम, 2001 के अनुसार प्रार्थी लेखपत्रधारियों द्वारा राजस्व दिया गया है, इसका कोई प्रभाव राज्य के लिए ट्रांजिट फी लगाने की हकीकत पर नहीं होगा। खनिजों पर कोई ट्रांजिट फी लगाई जा सकती है के बारे में

उच्च

न्यायालय का निर्णय गलत है। यह भी दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय

ने

'वन' शब्द के बहुत संकीर्ण अर्थ को अपनाने में गलती की है, जबकि वन को एक व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। यह दावा किया जा रहा है कि वन अधिनियम, 1927 और खनिज विकास और विनिर्माण क्षेत्र अधिनियम, 1957 अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं। विधि प्रारंभिक आपत्तियों के मामले में यह है कि ट्रांजिट फी दूसरे ट्रांजिट के लिए भी लिया जा रहा है। दावा किया गया है कि ट्रांजिट पास की गंतव्य स्थानीय होती है और जब वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, तो पास समाप्त हो जाता है, और तब ट्रांजिट फी को वैध रूप से लिया जा सकता है।

20. पक्षों के आपत्तियों का ध्यान देने के बाद, उक्त नागरिक अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दा तय किया और इस प्रकार निर्णय दिया:

“ix. क्या वाणिज्यिक प्रक्रिया / रासायनिक उपचार द्वारा, जैसा कि लेखपत्रधारियों द्वारा दावा किया जाता है, वन संबंधी उत्पाद वन संबंधी उत्पाद की गुणवत्ता खो देता है।64. सी. एस. टी. बनाम लाल कुंवा स्टोन क्रेशर (पी) लिमिटेड (2000)3 SCC525 में न्यायालय व्यापार पर उत्पन्न होने वाले पत्थर गिट्टी, सैंड चिप्स और धूल पर उत्पन्न कर रहा था। सवाल यह उठा कि क्या पत्थर गिट्टी, चिप्स और धूल उनके क्रश करने के बाद भी पत्थर गिट्टिस, चिप्स और धूल ही रहते हैं या उन्हें एक नई वाणिज्यिक उत्पाद में बदल दिया जाता है, जिसके कारण उनकी बिक्री पर कर लगता है। व्यापारी का मामला यह था कि माल की खरीदी के समय सेल्स टैक्स चुकाया गया है, इसलिए, इसी से उत्पन्न होने वाले माल

को फिर से कर लगाने का अधिकार नहीं होता है। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'पत्थर' शब्द गिट्टी, गिट्टी, कंकर और बल्लास्ट जैसे विभिन्न रूपों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, इसलिए रेतीय चिप्स, गिट्स और धूल आदि पर कोई कर लागू नहीं था। पैरा 5 में निम्नलिखित का निर्णय दिया गया था:

“ 5. यह निर्णय करने वाली ट्रिब्यूनल द्वारा उचितता के रूप में स्वीकृत की गई दृष्टि है कि माल पत्थर ही रहती है और वे वाणिज्यिक रूप से भिन्न माल नहीं हैं जिन्हें बिक्री के उद्देश्य के लिए अलग तरीके से पहचाना जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल में अल्पांशिक मत के द्वारा उपयोग की जाने वाली निर्णय रिलायबल रॉक्स बिल्डर्स एंड सप्लायर्स बनाम कर्नाटक राज्य ने नए माल के उत्पन्न होने के उद्देश्य से माल का उपभोग करने के संबंध में व्याख्या की गई थी। उस मामले में न्यायालय वर्तमान मामले में हमारी परेषणा से संबंधित एक प्रकार के प्रवेश के साथ चिंतित नहीं था। जहां व्यापारी ने पत्थरों का उपभोग करके नए वाणिज्यिक माल को पैदा किया था, उसे खरीद करने का कर लगाने का आभास हो गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में, पत्थर और गिट्टी और पत्थर के लेख सभी समान प्रकृति के हैं, हालांकि आकार के आधार पर वे अलग हो सकते हैं। यदि गिट्टी, कंकर, पत्थर बलास्ट आदि सभी वाणिज्यिक रूप से पत्थर के बड़े पत्थरों से अलग माने जाएं, तो भी प्राथमिकता यह नहीं हो सकती है कि अधिसूचना के प्रवेश 40 ने उन्हें सबकुछ बिना पत्थर के वर्णित करने की इच्छा रखी थी। वास्तव में, "पत्थर" शब्द गिट्टी, कंकर, पत्थर बलास्ट जैसे विभिन्न रूपों को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। उस मामले में, हमें लगता है कि ट्रिब्यूनल के अधिकांश मत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और उचितता के अनुसार उचित है, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकृति दी है। इसलिए, हम उससे हस्तक्षेप नहीं करने के अभिप्रेत नहीं हैं।

65. उपरोक्त निर्णय ने यह निर्णय दिया कि पत्थर की प्रकृति और चरित्र उसे छोटे पत्थरों, धूल आदि में क्रश करने के बाद भी समान रहती है। रिक्ति याचिकाकर्ताओं द्वारा (2003) 3 SCC 122 में निर्णय पर भी आधार रखा गया है, तेज बहादुर दुबे (लिवरेंट द्वारा मृत) बनाम वन रेंज अफसर एफ. एस. (एस.डब्ल्यू.), हैदराबाद मामला। उपरोक्त मामले में, प्राप्तवयस्क पर आ.पी.सैंडलवुड और रेड सैंडर्सवुड ट्रांजिट

नियम, 1969 के नियम 3 से 7 का उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। असेसीज को पाया गया कि वह पूर्णता से तैयार किए गए संदलवुड उत्पादों को परिवहन कर रहा था। उसे उक्त नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। असेसीज का दावा था कि उसने अधिकारियों की अनुमति प्राप्त की है कि वह उसे विभिन्न प्रकार के हैंडल में परिवर्तित करेगा, जो अंततः अन्य संदलवुड हस्तशिल्प में प्रयोग होते हैं। इस न्यायालय ने इस निर्णय दिया कि अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के उत्पादों में परिवर्तित किए गए संदलवुड उत्पादों को प्रतिषेधित नहीं किया गया था, पैरा 6 में निम्नलिखित का निर्णय दिया गया था:

6. उपरोक्त में दर्शाया गया है कि मूल अपीलकर्ता एक ऐसे परमिटधारक थे जिन्हें संदलवुड में व्यापार करने और स्टॉक करने का लाइसेंस है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह साफ है कि उक्त अपीलकर्ता ने आवश्यक परमिट प्राप्त किया था जो संदलवुड को विभिन्न प्रकार के हैंडल में परिवर्तित करने के लिए था जो अंततः अन्य संदलवुड हस्तशिल्प में प्रयोग होते हैं, और यह अनुमति 31.12.1982 तक वैध थी जो जब्ती की अवधि को कवर करती है। अपीलकर्ता ने यह दावा किया था कि उसने उक्त अनुमति के अनुसार संदलवुड पेलेट्स को हैंडल में परिवर्तित किया था, जो अन्य संदलवुड आर्टिफैक्ट में प्रयोग होने के लिए था, और उसने Exts. P-18 से P-27 तक के रूप में संबंधित प्राधिकारियों को इस तरह के परिवर्तनों के बारे में सूचित किया था। अपीलकर्ता का दावा भी था कि संयुक्त संदलवुड आर्टिफैक्ट या इसके अंशों को किसी भी ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता नहीं होती है और यह केवल मूल संदलवुड या संदलवुड के छिपकली और पाउडर की आवश्यकता होती है जिसके लिए ट्रांजिट परमिट आवश्यक होता है। प्रयोगशाला न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस दावे को स्वीकार किया है। हम भी ध्यान देते हैं कि नियमों और अधिनियम के अनुसार, वे उत्पादों के परिवहन की प्रतिषेधित चीज है जो प्राधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद परिवर्तित किए गए हैं। ऐसे परिवर्तित संदलवुड उत्पादों को नियमों के तहत किसी

भी ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में उल्लिखित नियम इसकी आवश्यकता को नहीं समझाते हैं कि ऐसा ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता हो। उसके विपरीत, प्रतिवादी यह दावा करता है कि परिवर्तित संदलवुड उत्पादों को भी ट्रांजिट परमिट की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अधिनियम के धारा 2 (o) में विचारणीय रूप से संदलवुड के रूप में बने रहते हैं। इस प्रभाव में किसी विशेष नियम या अधिनियम की अनुशासन न होने के कारण, हम इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं। हमारा मत है कि एक बार संदलवुड को विशेष प्रक्रिया के माध्यम से धारण किया जाता है, जिससे संदलवुड उत्पाद कानूनी रूप से प्राप्त होता है, तो ऐसे उत्पाद को अधिनियम की धारा 2 (o) में समझे जाने वाले संदलवुड के रूप में मान्यता खो जाती है।

67. इस संदर्भ में, कर्नाटक वन विकास निगम लिमिटेड बनाम कैंट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (1994) 4 SCC 455 में इस महकमे द्वारा तीन जजा बेंच की एक जजमेंट का हवाला देने की आवश्यकता होती है। इस महकमे को कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 का विचार करने का अवसर मिला था। कैंचुक या लेटेक्स प्राकृतिक आवरण शीटों को कई ग्रेडों में कवर करता है या नहीं, यह प्रश्न विचार किया गया था। कैंचुक के विभिन्न शब्दकोश अर्थों को ध्यान में रखते हुए, इसका निर्णय किया गया कि क्योंकि प्रसंस्करण नई वस्त्री नहीं लाता है, बल्कि इसे सुरक्षित रखता है और बाजार के लिए उपयुक्त बनाता है, इसलिए इसकी विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह वन उत्पाद बने रहता है। इस प्रकार, कैंचुक से बदले गए रबर शीट वन उत्पाद बने रहते हैं। उक्त मामले में, इस महकमे ने यह भी निर्णय लिया है कि विक्रयकर विभाग में एंटीज का विचार करते समय वाणिज्यिक प्रयोग की परीक्षा 'व्यापारिक प्रचलन का परीक्षण' लागू नहीं होता है जबकि वन उत्पाद की परिभाषा को विचार किया जाता है।

21. उक्त नागरिक अपील में, संबंधित न्यायिक प्राधिकरण ने विभिन्न मुकदमों को चर्चा करने के बाद यह निर्णय दिया है कि पत्थरों, पत्थर बोल्टरों को पत्थर के दाने, पत्थर की चिप्स और पत्थर की धूल में कुचलना वन उत्पाद से अलग एक नई माल का निर्माण नहीं करता है। यह निर्णय लिया गया कि पत्थरों को कुचले गए सामग्री आगे भी पत्थर ही हैं और वन उत्पाद की प्रकृति को बनाए रखते हैं।

22. इस स्थानिक मामले में, याचिकाकर्ता का दावा है कि पत्थर क्रशर इकाइयों द्वारा निष्पादित प्रक्रिया में, नदी की रेत और नदी की बाजरी को पानी के साथ छाना जाता है और उन्हें कुचलने की प्रक्रिया के बाद, बाजरी/बोल्टर को विभिन्न टुकड़ों/साइज़ में कुचला जाता है, लेकिन यह वही 'नदी की रेत' और 'नदी की बाजरी' ही रहती है। लेकिन, राज्य सरकार पत्थर क्रशरों को मजबूर कर रही है कि वस्तुओं पर 13.5% कर जमा करें, क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक यह सभी शिड्यूलों के अलावा किसी भी वस्तु में आता है। मूल्यांकन प्राधिकरण नहीं मांग सकता है कि रेत और बाजरी की बिक्री पर 13.5% वैट का वसूल किया जाए, जो नदी के बेड सामग्री से या तो छानकर या उन्हें छोटे टुकड़ों में कुचलकर प्राप्त की जाती है, क्योंकि उक्त प्रक्रिया के बाद भी वही 'नदी की रेत' और 'नदी की बाजरी' ही बनी रहती है।

23. उसके बाद, पत्थर क्रशर में कुचले जाने के बाद नदी की रेत और नदी की बाजरी की व्यापारिक वस्तु की पहचान वही बनी रहती है और यह किसी नए व्यापारिक वस्तु में परिणमित नहीं होती है। कुचलने की प्रक्रिया के बाद, बाजरी/बोल्टर को विभिन्न टुकड़ों/साइज़ में कुचला जाता है, लेकिन यह वही 'नदी की रेत' और 'नदी की बाजरी' ही रहती है और दोनों ही समान प्रकृति की होती हैं और कोई नई व्यापारिक वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि नई व्यापारिक वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, तो मूल्यांकन प्राधिकरण उसी व्यापारिक वस्तु पर कर दर लगा नहीं सकता, जिस पर पहले से ही 5% का कर लगाया गया है, जैसा कि शिड्यूल II (बी) में उपयुक्त वस्तुओं के लिए प्रदान किया गया है। इसलिए, यह महकमा इस मत पर है कि मूल्यांकन प्राधिकरण के पास समान वस्तु के संबंध में दो प्रतिष्ठान नहीं हो सकते हैं। सरकार केवल अलग-अलग वस्तुओं के संबंध में विभिन्न दरें घोषित कर सकती है, लेकिन यह व्यापारिक वस्तुओं की समान प्रकृति के संबंध में विभिन्न कर लगा नहीं सकती है। समान वस्तुओं/व्या-

पारिक वस्तुओं के बीच कोई योग्य वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। शिड्यूल II (बी) का एंट्री 94 पत्थर, गिट्टी, पत्थर की चिप्स, पत्थर की बालास्ट आदि को शामिल करेगा, जो बोल्डर के कुचलने के बाद उत्पन्न होते हैं। पैरा 13 में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसी अनुसार दिया जाता है।

24. उपरोक्त दृष्टिकोण को पूरी तरह से लाल कुंवा (सुप्रसिद्ध) मामले में मान्यता दिलाने से मजबूती मिलती है, जहां यह निर्णय दिया गया है कि पत्थर, गिट्टी और पत्थर के वस्त्र सभी समान प्रकृति के होते हैं, हालांकि वे अलग-अलग आकार के हो सकते हैं और यद्यपि गिट्टी, कंकर, पत्थर की बालास्ट आदि सभी व्यापारिक रूप से बाजार में बेचने के लिए अलग माने जा सकते हैं, तथापि वे सभी 'पत्थर' हैं और इस-लिए उन्हें उनके प्राप्त करने वाले बोल्डर्स से अलग एक अलग वस्तु के रूप में कर लगाया नहीं जा सकता है।

25. इस न्यायाधीशिय निर्णय में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को यहां परिपूर्णता से पुष्टि भी किया जा रहा है कि कुमाऊं स्टोन क्रशर्स (सुप्रसिद्ध) मामले में भी मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि पत्थर, पत्थर के बोल्डर्स को पत्थर की गिट्स, पत्थर की चिप्स और पत्थर की धूल में कुचलने से वन उत्पाद से अलग एक नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है और कुचले गए सामग्री पत्थर के रूप में ही रहती है और वन उत्पाद की प्रकृति को रखती है।

26. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, सभी रिट याचिकाएं निस्तारित हो गयी हैं। व्यय के संबंध में आदेश नहीं है।

(अलोक सिंह जे.)

दिनांक: 30.10.2018